मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2005-जनवरी 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी, 2006 (पौष 15, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान,मुख्यमंत्री :-

(क) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2001-2002) एवं (2003-2004) तथा आयोग के वर्ष 2001-2002 एवं 2003 -2004 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 -2005 तथा लोक आयुक्त संगठन का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का व्याख्यात्मक ज्ञापन,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (दिनांक 19.01.2004 - 18.01.2005) ; तथा

(ख) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 32 सन् 1993) की धारा 7 "सी" की अपेक्षानुसार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 16.8.2000,

(ii) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 26.3.2002,

(iii) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 22.10.2002, एवं

(iv) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 17.2.2005,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राघव जी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम,1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 187 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 12 जुलाई, 2005,

(ख) क्रमांक 193 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 18 जुलाई, 2005,तथा

(ग) क्रमांक 255 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 30 अगस्त, 2005,

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999 -2000 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन एवं नर्मदा घाटी विकास :-

(क) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2002-2003) तथा आयोग के वर्ष 2002 -2003 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ; तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004 -2005,

पटल पर रखेंगे.

-2-

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, मोहन शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के अन्तर्गत ग्रामों में फर्जी पट्टे के आधार पर ऋण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा सिंचाई दर में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग स्थित शक्कर कारखानों किसानों को गन्ने का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामनिवास रावत, के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, ग्वालियर की ग्रेसिम मिल द्वारा बिक्री के अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 31-राघोगढ़ के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह को दिसम्बर, 2005-जनवरी, 2006 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सभापति, लोक लेखा समिति का 141 वां से 214 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री ध्यानेन्द्र सिंह,सभापति,सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, तथा इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री मधुकर हर्णे, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल शहर के ग्राम कोटरा स्थित अस्थायी मकानों का पट्टा दिलाये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम कोठी में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,

(ख) ग्राम दमुइया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम सिमरिया स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एन.सी.सी. खुलवाये जाने ; तथा

(घ) ग्राम विसानी में पुलिस चौकी खोले जाने,

(3) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) मांगुरली पहुंच मार्ग का उन्नयन कराये जाने ; तथा

(ख) ग्राम करव्हार, जामघाट एवं गोरलीखापा में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री, मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) पर विचार हेतु किये गये प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्याय पीठ को अपील) विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घन्टा 30 मि.

(1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

(2) प्रदेश में सिंचाई हेतु बांधों से समय पर पानी नहीं छोड़े जाने तथा नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक: 4 जनवरी, 2006